बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

संचिका संख्या-10/विविध-04/2022

आवश्यक सूचना (किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित अधिनियम, 2021 तथा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के आलोक में किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एव सदस्यों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक-22.09.2024 को चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। लिखित परीक्षा के पश्चात Counselling/Interview हेतु Shortlisted and Not Shortlisted अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/socialwelfare** पर अपलोड है।

किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एव सदस्यों के चयन हेतु Counselling/Interview के समय ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचना से संबंधित कागजात की मूल प्रति के साथ छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित) दस्तावेज लाना आवश्यक है, जो निम्नवत है :-

1. **जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र (मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र)।**
2. **सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।**
3. **आवासीय प्रमाण पत्र।**
4. **जाति प्रमाण पत्र।**
5. **अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ यदि आप बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड में कार्य किये हों, तो उस का भी विवरण।**
6. **तीन पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो।**
7. **पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।**
8. **संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र।**

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि Counselling/Interview की अद्यतन सूचना के संबंध में विभागीय वेबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहेंगे।

24-12-24

(रंजिता)
निदेशक, समाज कल्याण।

Scanned with OKEN Scanne

शपथ पत्र

मैं ....पिता ....

माता ....पति/पत्नी..जन्म तिथि........................

स्थायी पता...

पत्राचार का पता ....

राज्य बिहार पिन कोड............................शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. मै, बाल कल्याण समिति आवेदन आई0डी0 सं0-../किशोर न्याय बोर्ड आवेदन आई0डी0 सं0-......................... में चयन हेतु बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में निहित अर्हताओं एवं अन्य शर्तों/प्रावधानों से संबंधित सभी प्रमाण पत्र एवं विवरणी, जो आवेदन में भरा गया है, कांउसलिंग/साक्षात्कार के समय समर्पित कर रहा हूँ, जो मेरी जानकारी में पूर्णत: सही है।
2. मैंने बालहित के विरूद्ध कोई कार्य नहीं किया है तथा मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक, शोषण या नैतिक कलंक की दोषसिद्धि/आरोप/अनुशंसा न तो प्रमाणित है, न ही लंबित है।
3. मैंने जिस जिले में समिति या बोर्ड के लिए आवेदन दिया है, वहॉ का निवासी हूँ। मेरा अपने जिले के वर्तमान समिति/बोर्ड के सदस्यों के साथ आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं है।
4. मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान या चाइल्ड लाईन से संबंध नहीं है।
5. मैं समिति या बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल या संगठन जो किसी राजनैतिक दल से संबद्ध हो, से संबंध नहीं रखूंगा।
6. मुझे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत नहीं किया गया है।
7. मैं, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करूँगा/ करूँगी।
8. चयन से संबंधित शर्तों/अधिनियम एवं नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने या ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न कागजातों के संबंध में शिकायत/आपत्ति/संदेह होने की स्थिति में निदेशालय द्वारा जो भी कार्रवाई की जायेगी, वह मुझे मान्य होगी। सूचनाएँ गलत पाये जाने पर कार्यमुक्त करते हुए निदेशालय मुझसे प्राप्त बैठक भत्ता की राशि की वसूली कर सकता है।

   मैंने उक्त शपथ पत्र को पढ़ने और समझने के पश्चात अपना हस्ताक्षर किया तथा मेरे द्वारा कोई सूचना छुपाया नहीं गया है।

   उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य और विश्वसनीय है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर (पूरा नाम सहित)

दिनांक